दिनांक 22.02.2023
प्रेस विज्ञप्ति 23/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मीरजापुर/कोतवाली शहर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **31 हजार रूपये नगद आदि**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 22.02.2023 को थाना कोतवाली शहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त अभिषेक घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 31 हजार रूपये नगद आदि, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत अभियोग अर्न्तगत धारा 461 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मीरजापुर, सोनभद्र, मऊ, प्रयागराज के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अभिषेक निवासी नयाटोला जुराबगंज थाना कोड़ा जनपद कटिहार, बिहार।

बरामदगी

1–31 हजार रूपये नगद आदि।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 04 एलईडी टीवी, 03 इन्वर्टर आदि**
- **10 हजार 250 रूपये नगद**
- **चोरी करने के उपकरण**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 21/22.02.2023 की रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यदु बिहार मोड़ के पास से 03 अभियुक्तों 1–रिहान उर्फ जिशान 2–वसीम 3–मो0 अली उर्फ कुन्दन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, चोरी के 04 एलईडी टीवी, 03 इन्वर्टर, 02 गैस सिलेण्डर आदि, 10 हजार 250 रूपये नगद, चोरी करने के उपकरण, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटनाएं कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त वसीम, व मो0 अली उर्फ कुन्दन के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना कोतवाली नगर पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 11–11 अभियोग, एवं अभियुक्त रिहान उर्फ जिशान के विरूद्ध जनपद हाथरस, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रिहान उर्फ जिशान निवासी रूकनसराय थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

2—वसीम निवासी मधुगढी थाना हाथरसगेट जनपद हाथरस।

3—मो0 अली उर्फ कुन्दन निवासी मोहल्ला नरसलघाट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण।

2—चोरी के 04 एलईडी टीवी, 03 इन्वर्टर, 02 गैस सिलेण्डर आदि ।

3—10 हजार 250 रूपये नगद।

4—चोरी करने के उपकरण।

5—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 23 किलो 665 ग्राम चांदी के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 22.02.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवा रोड रेलवे ब्रिज के पास से अभियुक्त सौरभ उर्फ सोमू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 23 किलो 665 ग्राम चाँदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.02.2023 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत चोरी/धोखाधड़ी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद चाँदी के आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सौरभ उर्फ सोमू निवासी ग्राम व थाना मोहम्मदपुरखाला जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 23 किलो 665 ग्राम चांदी।

2–घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन।

<u>जनपद मथुरा/थाना बल्देव</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 21.02.2023 को थाना बल्देव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीज गोदाम झरौठा के पास से पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्तों 1–यदुवीर उर्फ मूला 2–सुधीर 3–देवेन्द्र उर्फ देवा 4–राजेन्द्र 5–गिरीश 6–बिट्टू उर्फ विश्वेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 दो पहिया वाहन, कूट रचित दस्तावेज 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त यदुवीर उर्फ मूला के विरूद्ध जनपद हाथरस, मथुरा के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बल्देव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–यदुवीर उर्फ मूला निवासी विधिपुर थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

2–सुधीर निवासी विधिपुर रोड मौहल्ला चावड विसावर जनपद हाथरस।

3–देवेन्द्र उर्फ देवा निवासी विधिपुर थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

4–राजेन्द्र निवासी विधिपुर थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

5–गिरीश निवासी मौहल्ला मुकुन्दपुरी विसावर थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

6–बिट्टू उर्फ विश्वेन्द्र निवासी नगला छत्ती थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–चोरी की 10 दो पहिया वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना सारनाथ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 22.02.2023 को थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिंहपुर अण्डर बाईपास से 02 अभियुक्तों 1–सुजीत 2–मस्लिम हासिमी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी व आस–पास के जनपदों से वाहनों की चोरी कर चेचिस नम्बर मिटाकर, नम्बर प्लेट बदलकर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुजीत निवासी भर्थरा थाना लोहता, वाराणसी।

2–मुस्लिम हासमी निवासी मसाढ़ी थाना रामगढ़ जनपद कैमूर, बिहार हालपता–बेलवरिया थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1–चोरी की 08 मोटर साइकिल।

जनपद बस्ती/थाना हर्रैया

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी/धोखाधड़ी के 03 लाख 10 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन, 01 सिम, 02 एटीएम कार्ड, 01 आधार कार्ड बरामद**

दिनांक 22.02.2023 को ताना हर्रैया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–प्रशान्त 2–हरेन्द्रमणि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी/धोखाधड़ी के 03 लाख 10 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 सिम, 02 एटीएम कार्ड, 01 आधार कार्ड बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना हर्रैया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रशान्त निवासी विहरा खास थाना हर्रैया जनपद बस्ती।

2–हरेन्द्रमणि निवासी हरिवंशपुर थाना हर्रैया जनपद बस्ती।

बरामदगी

1–चोरी/धोखाधड़ी के 03 लाख 10 हजार रूपये नगद।

2–03 मोबाइल फोन, 01 सिम, 02 एटीएम कार्ड, 01 आधार कार्ड।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–63

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **52 हजार रूपये नगद**
- **13 डेस्कटॉप कम्प्यूटर, 01 लैपटॉप, 31 मोबाइल फोन, 11 डेबिट कार्ड, 11 सिम कार्ड, 15 प्रमाण पत्र आदि**
- **02 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 21.02.2023 को थाना सेक्टर–63 नोएडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डी–125 बिल्डिंग सेक्टर–63 से फर्जी कम्पनी खोलकर लोगों को फर्जी लोन

व नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 02 अभियुक्तों 1—योगेश 2—चन्दन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 52 हजार रूपये नगद, 13 डेस्कटॉप कम्प्यूटर, 01 लैपटॉप, 31 मोबाइल फोन, 11 डेबिट कार्ड, 11 सिम कार्ड, 03 रजिस्टर, 23 डायरी, 15 प्रमाण पत्र, 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तगण धोखाधड़ी कर लोगो को फोन करके लोन देने व नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की घटना करते है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—63 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—योगेश निवासी खेडा धर्मपुरा छपरौला थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2—चन्दन कुमार निवासी मांझी थाना मांझी जनपद छपरा बिहार वर्तमान पता चोटपुर कॉलोनी थाना सेक्टर—63 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—52 हजार रूपये नगद।

2—13 डेस्कटॉप कम्प्यूटर, 01 लैपटॉप, 31 मोबाइल फोन, 11 डेबिट कार्ड, 11 सिम कार्ड, 03 रजिस्टर, 23 डायरी, 15 प्रमाण पत्र।

3—02 चार पहिया वाहन आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना नॉलेजपार्क

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 20 लाख कीमत के 539 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त कैंटर बरामद**

दिनॉकः 22.02.2023 को थाना नॉलेजपार्क व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर—150 कट से 02 अभियुक्तों 1—रतन 2—सदाशिव उर्फ बुल्लु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 20 लाख कीमत के 539 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त कैंटर बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना नॉलेजपार्क पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रतन निवासी ग्राम हसनपुर थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़।

2–सदाशिव उर्फ बुल्लु निवासी ग्राम मैदिनपुर थाना कोदोला जनपद गंजम, उडीसा।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 20 लाख कीमत के 539 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त कैंटर।

- **जनपद बस्ती/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बस्ती द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अजय को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 23 करोड़ 69 लाख 61 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त अरूण कुमार पुत्र लवकुश निवासी निजामपुर मल्हौर थाना चिनहट लखनऊ द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 23 करोड़ 69 लाख 61 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 गंगाशरन व पत्नी प्रमोद कुमार निवासीगण सेमरा गौढ़ी आईआईएम रोड थाना मड़ियाव लखनऊ द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 61 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त अज्जन उर्फ मिस्बाहुर्रहमान पुत्र मो0 कलीम निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 61 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस ने अभियुक्त अमीन चौधरी पुत्र शमीम निवासी मो0मुल्लाना थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर एन्टीक एवं सांस्कृतिक धरोहर वाली मूर्ति चोरी करने वाले एवं फर्जी तरीके से अष्टधातु की मूर्ति बताकर बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार, चोरी की 01 अदद मूर्ति बरामद।

दिनांकः 21—02—2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद गोरखपुर से अन्तर्राज्यीय स्तर पर एन्टीक एवं सांस्कृतिक धरोहर वाली मूर्ति चोरी करने वाले तथा फर्जी तरीके से तथाकथित अष्टधातु की मूर्ति बताकर बेचने वाले के पास से 01 अदद एन्टीक मूर्ति बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1— शिवकुमार सोनी पुत्र स्व0 सुभाष प्रसाद निवासी ग्राम हरिहरपुर, थाना यादवपुर, जिला गोपालगंज, बिहार।

बरामदगीः—

1— 01 अदद अष्टधातु की मूर्ति वजन लगभग 6.800 कि0ग्रा0

2— 01 अदद मोबाइल फोन।

3— रूपये 350/—नगद।

4— 01 अदद आधार कार्ड।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः—

दिनांक 21—02—2023 को समय लगभग 20.30 बजे रात्रि में हीरापुरी कालोनी गेट से विश्वविद्यालय वाले रोड पर कुछ दूरी पर, थानाक्षेत्र कैण्ट, जनपद गोरखपुर।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ को सूचना प्राप्त हो रही थी कि बिहार प्रान्त के गैंग विभिन्न स्थानों से एन्टीक एवं सांस्कृतिक धरोहर वाली मूर्ति चोरी कर रहे हैं एवं उन चोरी के मूर्तियों को तथाकथित अष्टधातु की मूर्ति बताकर छल कपट कर फर्जी तरीके से बेच रहे हैं। इस सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में पुलिस उपाधीक्षक श्री लाल प्रताप सिंह, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में श्री सत्य प्रकाश सिंह निरीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर एवं उनकी टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अन्तर्राज्यीय स्तर पर अष्टधातु की मूर्ति चोरी करने वाले एवं फर्जी तरीके से तथाकथित अष्टधातु की मूर्ति बेचने वाले गिरोह द्वारा बस स्टेशन से विश्वविद्यालय चौराहा के तरफ जाने वाले रोड पर हीरापुरी गेट के पास एक व्यक्ति बैग में छुपाकर एक तथाकथित अष्टधातु की मूर्ति लेकर खड़ा है वही बेचने वाला है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह, के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई टीम गोरखपुर द्वारा मुखबिर की सूचना पर हीरापुरी गेट से पहले विश्वविद्यालय चौराहे के पास पहुँच कर मुखबिर की निशादेही पर आवश्यक बल प्रयोग कर लगभग 20.30 बजे रात्रि पकड़ लिया गया तथा दूसरा व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर हीरापुरी कालोनी की तरफ भाग गया। पकड़े गये अभियुक्त के पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

अभियुक्त से पूछ–ताछ पर बताया कि भागने वाले व्यक्ति का नाम शिब्बू कुमार सोनी पुत्र दीपक कुमार सोनी निवासी ग्राम असन्दापुर थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज, बिहार है, उसी ने मुझे यह मूर्ति दी थी और किसी खरीददार से पॉच करोड़ रूपये में बेचने के सम्बन्ध में बात किया था। इस मूर्ति को ये लोग फर्जी तरीके से अष्टधातु की मूर्ति बताकर धोखा देकर, छल करके पॉच करोड़ रूपये में बेचना था। ये लोग आज मूर्ति बेचने आये थे। मूर्ति के सम्बन्ध में बताया कि यह मूर्ति चोरी की है किस जगह से चोरी हुई है यह शिब्बू कुमार सोनी ही बता पायेगा।

अभियुक्त शिब्बु कुमार सोनी के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं तथा गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कैण्ट, जनपद गोरखपुर में धारा 41/411/420 भा0द0वि0 व धारा 21 इण्डियन ट्रेसर ट्रोव एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः सेक्स वर्धक दवा बेचने का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर जनता को फर्जी दवाओं को बेच कर भारी मात्रा में अवैध धन अर्जित करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 04 सदस्य लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनाक 21—02—2023 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को सेक्स वर्धक दवा बेचने का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर जनता को फर्जी दवाओं को बेच कर भारी मात्रा में अवैध धन अर्जित करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 04 सदस्यों को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1. धर्म सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी गोपीवाला, जाटव वाला मजरा कालोनी, थाना ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद।
2. ध्यान सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी बाखरपुर अटायन, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद।
3. लाल सिंह उर्फ गुलाब सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवसी ताजपुर, थाना निकासा, जनपद सम्भल।
4. बीर सिंह पुत्र बिलासा सिंह निवासी गोपीवाला, जाटव वाला मजरा कालोनी, थाना ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद

बरामदगीः

1. 04 अद्द मोबाईल फोन (घटना में प्रयुक्त)।
2. 01 अदद कैश बुक।
3. 02 अदद कूटरचित फर्जी प्रमाण पत्र।
4. 01 अदद पैन कार्ड।
5. 01 अदद डीएल।
6. 02 अदद आधार कार्ड।
7. 02 अदद रंगीन छायाप्रति कूट रचित फर्जी प्रमाण पत्र (अमर जीवन आयुर्वेदिक एण्ड कम्पनी सहारनपुर)।
8. 03 अदद स्टील के डिब्बों में कथित आयुर्वेदिक दवा।

9. 02 अदद प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बों के अन्दर 22 छोटी डिब्बियों में कथित आयुर्वेदिक दवा।

10.01 अदद स्टील के टिफिन में एक अदद पारा मापक यंत्र।

11.01 अदद तराजू पीली धातु।

12.रू0 2640/- नकद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समय–</u>

दिनांक 21–02–2023 समयः–18.05 बजे, स्थानः–पुरानी पारा पुलिस चौकी के सामने रोड पर, थानाक्षेत्र पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के उच्च अधिकारियों द्वारा कूटरचित व फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर जनता के व्यक्तियों से सेक्स उत्तेजना से सम्बन्धित दवाओं को भारी मात्रा में अवैध धन अर्जित कर बेचने वाले गैंग की गिरफ्तारी एवं इसकी रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एस0टी0एफ0 मुख्यालय पर विगत कई माह से सूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 के निर्देशन में एस0टी0एफ0 की साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 21–02–2023 को अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि 04 व्यक्ति जो कूटरचित व फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर जनता के व्यक्तियों से सेक्स उत्तेजना से सम्बन्धित दवाओं को बेंच कर अवैध धन अर्जित करते हैं, पुरानी पारा पुलिस चौकी के सामने रोड पर वाहन के इन्तजार में खडे हैं जो कहीं जाने कि फिराक में हैं। यदि जल्दी किया जाये तो इन्हें पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एसटीएफ की साइबर टीम द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए मुखबिर के बताये गये स्थान पुरानी पारा चौकी के सामने पहुॅच कर समय करीब 18:05 बजे एकबारगी दबिश देकर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार चारों व्यक्तियों ने अलग अलग व सामूहिक रूप से पूछताछ में बताया कि हम लोगों का एक सुसंगठित गिरोह है। हम लोगों द्वारा कूटरचित फर्जी अमर जीवन

आयुर्वेदिक एण्ड कम्पनी सहारनपुर का प्रमाण पत्र एक साइबर कैफे से रू0 750 में ठगी करने के उद्देश्य से फर्जी तौर से बनवाया है। हम लोग यही प्रमाण पत्र दिखाकर बरामदा उपरोक्त मोबाइल से जनता के व्यक्तियों से सम्पर्क कर उनके सेक्स सम्बन्धी कमजोरी के सम्बन्ध में वार्ता करते हैं तथा उनको अपनी बातों में फंसा कर उनके सेक्स उत्तेजना को बढाने हेतु उनको विभिन्न प्रकार प्रलोभन देकर आयुर्वेद की नकली दवा उपलब्ध कराते हैं। जिन व्यक्तियों को हम लोगों द्वारा आयुर्वेद की नकली दवा दी जाती है उनसे दवा के एवज में मोटी रकम ले ली जाती है। जिन व्यक्तियों से हम लोगों द्वारा मोटी रकम ली जाती है उन व्यक्तियों को हम लोगों द्वारा सेक्स सम्बन्धी जानकारी देने हेतु विभिन्न जनपदों में बुलाया जाता है। हम लोगों द्वारा जिन व्यक्तियों से अवैध रूप से धन अर्जित किया जाता है उन लोगों को हम लोगों द्वारा फर्जी/कूटरचित कैश रसीद दी जाती है। उपरोक्त बरामदा कैश रसीद वही है, जिसपर हम लोगों द्वारा लिए गये अवैध धन का विवरण आयुर्वेद की नकली दवा के अनुसार दिया जाता है। इस प्रकार हम लोगों द्वारा फर्जी/कूटरचित प्रमाण पत्र के आधार पर जनता के व्यक्तियों को मूर्ख बनाकर अवैध धन अर्जित करते हुए सेक्स वर्धक नकली दवा उपलब्ध करायी जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना पारा पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0 49/2023 धारा 419/420/467/468 भादवि का पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।